Regarding acquisition of land of farmers for widening of road in Chandauli district, Uttar Pradesh.-laid

श्री वीरेन्द्र सिंह **(**चन्दौली**) :** जनपद चन्दौली के किसानों, गरीबों एवं भूमिहीनों के मकान एवं जमीन का बिना उचित मुआवजा दिए सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है । इस पर तत्काल रोक लगाई जाए एवं बिना उचित मुआवजा दिए तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के तहत 70% किसानों की सहमति के बिना उन्हें बेदखल न किया जाए । भारत माला परियोजना के अंतर्गत ग्राम सभा रेवसा के अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को बिना विस्थापित किए और बिना उचित मुआवजा दिए बेदखल न किया जाए ।

गंगा नदी के किनारे बनने वाले बंदरगाह के आस-पास मिल्कीपुर, तहीरपुर तथा पवित्र बौध विहार जमीनों से बिना उचित मुआवजा दिए एवं बिना विस्थापित किए उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है तथा विरोध करने पर उन पर एफआईआर भी की जा रही है, जिसे निरस्त करना आवश्यक है| साथ ही साथ वहाँ के गरीब बाँध, बियार, मल्लाह एवं अल्पसंख्यक समाज के भूमिहीनों को विस्थापित करने के उपरान्त ही उचित मुआवजे के बाद उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए|

मुगलसराय-चकिया मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य के लिए पहले से बने, गरीबों के कच्चे-पक्के मकानों/दुकानों का बिना उचित मुआवजा दिए उन्हें बेदखल किया जा रहा है । इस पर रोक लगायी जाए और मुआवजा देकर ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाए ।